

NGT द्वारा उत्तराखंड को वहन क्षमता की ज़म्मेदारी का खुलासा करने का आदेश चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरति अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने उत्तराखंड के पर्यावरण वभाग से दुर्घटना की स्थिति में ज़म्मेदारी का खुलासा करने को कहा है, क्योंकि उत्तराखंड में **चार धाम** यात्रा के लिये तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने के लिये कोई वहन क्षमता नहीं है।

मुख्य बंदि:

- न्यायाधिकरण के अनुसार, **बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री** और **यमुनोत्री** के मार्गों पर तीर्थयात्रियों के लिये कोई वहन क्षमता नरिधारति नहीं है तथा उन मार्गों पर तीर्थयात्रियों की संख्या के संबंध में कोई प्रतबिंध नहीं है।
- राज्य सरकार के वकील के अनुसार, चारों तीर्थ स्थलों की वहन क्षमता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने में एक वर्ष का समय लगेगा।
- राष्ट्रीय हरति अधिकरण (NGT) के अनुसार, तीर्थयात्रियों की अनयिंत्रति संख्या के कारण दुर्घटना हो सकती है और कसिी को इसकी ज़म्मेदारी लेनी होगी।

??? ??? ??????

- **यमुनोत्री धाम:**
 - स्थान: उत्तरकाशी ज़िला।
 - समर्पति: देवी यमुना।
 - गंगा नदी के बाद यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे पवतिर नदी है।
- **गंगोत्री धाम:**
 - स्थान: उत्तरकाशी ज़िला।
 - समर्पति: देवी गंगा।
 - सभी भारतीय नदयिों में सबसे पवतिर मानी जाती है।
- **केदारनाथ धाम:**
 - स्थान: रुद्रप्रयाग ज़िला।
 - समर्पति: भगवान शवि।
 - मंदाकनी नदी के तट पर स्थति है।
 - भारत में 12 ज्योतरिलगिों (भगवान शवि के दविय प्रतनिधितिव) में से एक।
- **बदरीनाथ धाम:**
 - स्थान: चमोली ज़िला।
 - पवतिर बदरीनारायण मंदरि का घर।
 - समर्पति: भगवान वषिणु।
 - वैषणवों के पवतिर तीर्थस्थलों में से एक।

